

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

जवाहर लाल नेहरू भारतीय एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन
नं.61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख "डी" ब्लाक जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058

शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

इस योजना का लाभ केवल दो बच्चों के लिए मान्य होगा कृपया कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के ओ.एम.सं. 12011/03/2008-स्था.(भत्ता) दिनांक 2 सितम्बर 2008 द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2008 को देखें।

शिशु का नाम.....कक्षा.....विद्यालय जिसमें पढ़ रहा है.....

जन्म तिथि

माह.....से.....तक शिशु शिक्षा भत्ता के लिए दावा ।

शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क हेतु वास्तविक देय का विवरण	शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क भुगतान की गई राशि	प्रतिपूर्ति हेतु दावा की गई राशि	टिप्पणी
1. प्रवेश शुल्क 2. शिक्षण 3. यूनिफार्म(दो सेट) 4. स्कूल शू (एक प्रति) 5. किताबें/नोट बुक (एक सेट) 6. पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क 7. खेल /क्रीड़ाशुल्क /अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियां 8. छात्रावास शुल्क 9. कृषि//एलेक्ट्रानिक/संगीत अथवा प्रायोगिक कार्य/किसी अनुदान हेतु भुगतान की गई शुल्क /उपकरणों जो शिशु द्वारा प्रयोग किया गया हो 10. अन्य गतिविधि शुल्क			
कुल योग रु.			

क्रमशः.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि शिशु जिसके लिए शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क का दावा किया गया है पूर्णतः मुझ पर आश्रित है।
2. उपर्युक्त शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क जिस शिशु के लिए दावा किया गया है वास्तव में मेरे द्वारा भुगतान किया जा चुका है। संबंधित नकद रसीद साथमें संलग्न है।
- 3.(i) मेरी पत्नी/पतिकेंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय के कर्मचारी नहीं हैं।
(ii) मेरी पत्नी/पतिकेंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्वायत्त निकाय के कर्मचारी हैं, किन्तु उनके द्वारा हमारे बच्चों के लिए किसी भी शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु दावा नहीं किया गया है।
(iii) मेरी पत्नी /पतिके कर्मचारी हैं। उनको हमारे बच्चों के लिए कोई भी शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क देय नहीं है।
4. दावे की अवधि में बच्चे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहें हैं तथा बिना उचित अवकाश के एक माह की अवधि से अधिक अनुपस्थित नहीं हुए हैं।
5. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अथवा मेरी पत्नी/पति ने पूर्व में उपर्युक्त बच्चों के लिए किसी शिशु शिक्षा भत्ताशुल्क हेतु दावा नहीं किया।
6. उपर दी गई जानकारी में यदि कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो शिशु शिक्षा भत्ता शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित मापदंडों को प्रभावित करता है, तो मैं उक्त संदर्भ में तुरन्त सूचना देने तथा यदि कोई अधिक भुगतान किया जाता है तो उसे लौटाने हेतु बचन वद्ध हूँ।

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर,

नाम.....

पदनाम.....

अनुभाग.....

नोट:1.प्रतिपूर्ति – सीइए केवल दो बच्चों तक मान्य है।

2. प्रत्येक बच्चों के लिए अलग फार्म भरा जाय।